

1. मुख्यालय पर सभी अधिकारी (सिवाय निदेशक)।
2. निजी सहायक/निदेशक।
3. मुख्यालय पर सभी अनुभागों के मुखिया।
4. उप अधीक्षक (ए.सी.आर.) तथा पेंशन सहायक (मुख्यालय पर)।
5. नोडल अधिकारी (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)।



Haryana Industrial Training Directorate,

सहायक निदेशक (प्रशासन-II) Headquarters: Chandigarh

कृते: निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,  
हरियाणा।

सेवा में

सभी उप-कार्यालय,  
हरियाणा राज्य में।

यादि क्रमांक: टीई/103/657/प्रशा0-II/ 11290  
दिनांक: 28/10/16

विषय:- बेबाकी प्रमाण पत्र श्री ओमप्रकाश सांगवान, प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जहांगीरपुर (झज्जर)।

श्री ओमप्रकाश सांगवान, उप-प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जहांगीरपुर (झज्जर) जिनकी जन्मतिथि 2.1.1959 है, जोकि 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने उपरांत सरकारी सेवा से दिनांक 31.1.2017 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के 20 दिन के अन्दर-2 इस निदेशालय को सूचित करें कि इस अधिकारी के विरुद्ध आपके संस्थान/विभाग का कोई बकाया तो नहीं है ताकि अधिकारी के पक्ष में बेबाकी प्रमाण पत्र जारी किया जा सके।

यदि आपका उत्तर निर्धारित समय के अन्दर-अन्दर न आया तो यह समझा जायेगा कि आपके संस्थान/विभाग का कोई बकाया नहीं है और नियमानुसार इसके पक्ष में सामुहिक बेबाकी प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा। शिथिल में यदि कोई वित्तीय सम्बन्धी मामला लम्बित पाया गया तो उसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

नोट:- प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जहांगीरपुर (झज्जर) यह सूचित करें कि यह अधिकारी अन्तिम 5 वर्षों में कहां-कहां कार्यरत रहा है, उन सभी संस्थानों से बेबाकी बारे सूचना संकलित करके निदेशालय को 15 दिन के अन्दर-2 भेजी जाये। यदि निर्धारित अवधि में कोई उत्तर नहीं आया और बाद में किसी प्रकार की कोई कमी/अनियमितता पाई गई तो उसके लिए आपकी जिम्मेवारी होगी और उसकी वसूली आपसे की जायेगी। किसी भी प्रकार की वित्तीय मामले में उसकी स्वयं की जिम्मेवारी होगी।

सहायक निदेशक (प्रशासन-II)  
कृते: निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,  
हरियाणा।

पृ० क्रमांक: टीई/103/657/प्रशा0-II/ 11291

दिनांक 28/10/16

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. मुख्यालय पर सभी अधिकारी (सिवाय निदेशक)।
2. निजी सहायक/निदेशक।
3. मुख्यालय पर सभी अनुभागों के मुखिया।
4. उप अधीक्षक (ए.सी.आर.) तथा पेंशन सहायक (मुख्यालय पर)।
5. नोडल अधिकारी (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)।

सहायक निदेशक (प्रशासन-II)  
कृते: निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,  
हरियाणा।